संख्या– 417/पचास–यु0क0–2019–102(पीवीडी)/1988

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ: दिनांक 08 मार्च, 2019

विषय– प्रादेशिक विकास दल के स्वयंसेवकों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1110/चार–41/प्रा0वि0 द0/2018, दिनांक 12 नवम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या–398/पचास–यु0क0– 2016–102 (पीवीडी)/88, दिनांक 16 जून, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रादेशिक विकास दल/प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित पारिश्रमिक रू.250/– से बढ़ाकर रू. 375/– प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित दर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1425/ पचास–यु0क0–2013–102(पीवीडी)/1988, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–यू0ओ0–ई–2–192/दस–2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

–2–

संख्या– (1)/पचास–यु0क0–2019–102(पीवीडी)/1988, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनुसचिव।